



पत्रांक – 2421 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2022  
सेवा में,

दिनांक– 03 / 11 / 2022

प्राचार्य / नोडल अधिकारी

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

(जनपद– सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती)

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर।

विषय:– टेबलेट / स्मार्टफोन वितरण से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किये जाने का सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क स्मार्टफोन / टेबलेट वितरण योजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-14/2021/1502/77-1-2021-156/2021 दिनांक 06.10.2021 के विन्दु संख्या-11 में लाभार्थी संस्था के प्राचार्य / प्रमुख के निम्नलिखित दायित्व उल्लेखित है-

1. योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्था स्तर पर समिति का गठन एवं नोडल अधिकारी की तैनाती।
2. यह सुनिश्चित करना कि योजनान्तर्गत सभी लाभार्थी का सही-सही डेटाबेस निर्धारित पोर्टल पर समय से अपलोड हो जाय।
3. आपूर्तिकर्ता संस्था से आपूर्ति प्राप्त कर उसके स्टोरेज तथा वितरण की व्यवस्था करना।
4. शासन स्तर पर वितरण हेतु प्राप्त टेबलेट / स्मार्ट फोन को सुरक्षित रखा जाना एवं शासन के निर्देशानुसार वितरण की व्यवस्था करना।
5. वितरण से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करना।
6. उपलब्ध कराये जा रहे टैबलेट / स्मार्ट फोन के माध्यम से शिक्षण / प्रशिक्षण कार्य से सम्बन्धित स्थानीय डिजिटल कान्टेन्ट तैयार कराना तथा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराना।
7. जिलाधिकारी / शासन को वांछित सहयोग प्रदान करना।

साथ ही उक्त शासनादेश के विन्दु सं0-10 के प्रस्तर 5 में "संस्थाओं में टेबलेट / स्मार्टफोन का वितरण मा0 प्रभारी मंत्री / मा0 सांसद / मा0 विधायक की उपस्थिति में सुनिश्चित कराया जाना" उल्लेखित है।

अतः सभी प्राचार्य / नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश के विन्दुओं का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्राचार्य / नोडल अधिकारी (स्मार्टफोन / टेबलेट वितरण) उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रबन्धकगण सम्बद्ध महाविद्यालय सि0वि0वि0क0 सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति जी को मा0 कुलपति जी को अवलोकानार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, जिलाधिकारी, जनपद– सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की बेबसाइट एवं कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

4  
03.11.22  
कुलसचिव

Q